"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2012—अग्रहायण 2, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2012

क्रमांक ई-01-07/2004/एक/2.—श्री डी. डी. सिंह, भा.प्र.से. (2000), संचालक, उद्यानिकी, रायपुर को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 12 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रानीगुड़ा प.ह.नं. 05	2.030	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माण्ड व्यपवर्तन योजना के रानीगुड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	तमनार	तमनार प.ह.नं. 38	38.783	मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रायगढ़.	औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	रैबार प.ह.नं. 21	3.168	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा (अस्थायी मुख्यालय) खरसियां.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर (आर.डी. क्र. 660 से 2045 मी. तक) निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	चिखली प.ह.नं. 38	1.971	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा (अस्थायी मुख्यालय) खरसियां.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर (आर.डी. 30 मी. से 660 मी. तक) निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	नंदेली प.ह.नं. 37	2.491	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा (अस्थायी मुख्यालय) खरसियां.	केलो परियोजना के अंतर्गत छिछोर उमरिया वितरक नहर (आर.डी. 1946 मी. से 4640 मी. तक) निर्माण हेतु पूरक भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 31 अक्टूबर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कोरबा
 (ख) तहसील-कटघोरा
 (ग) नगर/ग्राम-ढेलवाडीह
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.445 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
316	0.032
317	0.048
334/1	0.061

	(1)	(2)
	334/2	0.061
	334/3	0.032
	334/4	0.041
	334/5	0.069
	334/6	0.101
योग	8	0.445

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ढेलवाडीह पतरापाली पर अहिरन सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/5050.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2011-12/1289 रायपुर, दिनांक 28-05-2011 द्वारा श्री ए. आर. धृतलहरे, संयुक्त कलेक्टर, धमतरी को कृषि उपज मण्डी समिति, धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला-धमतरी के पत्र क्रमांक/22-विविध/भारसाधक/मंडी/10-11/206 दिनांक 30-10-2012 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री ए. आर. धृतलहरे दिनांक 31-10-2012 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके कारण कृषि उपज मंडी समिति, धमतरी भारसाधक अधिकारी का पद रिक्त हो गया है. कलेक्टर, धमतरी के प्रस्तावनानुसार सुश्री तुलिका प्रजापति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी को कृषि उपज मंडी समिति, धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1976) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड "ख" में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. आर. धृतलहरे, के स्थान पर सुश्री तुलिका प्रजापति अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), धमतरी को, आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उपज मण्डी समिति, धमतरी का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, रायपुर
माता गैरेज के पीछे, जय भोले काम्प्लेक्स के सामने आशीर्वाद भवन, पंडरी, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक 01.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को

प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित सभी अधिसूचित वर्गों के श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार के प्रवर्गों के छत्तीसगढ़ के मूल रहवासी श्रमिकों को प्रदाय किया जा सकेगा.

(ii) बंधक निर्माण मजदूर को प्रदेश में वापस आने के पश्चात् संबंधित जिले के माध्यम से मंडल में पंजीकृत किया जावेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) श्रम विभाग द्वारा अनुशंसित बंधुआ निर्माण मजदूर को योजना का लाभ प्रदाय किया जावेगा.

(ii) योजना का लाभ बंधुआ निर्माण मजदूर को मंडल द्वारा एक ही बार देय होगा.

(द) **योजना हेतु व्यय :—**

(i) निर्माण मजदूर हेतु अधिसूचित सभी प्रकार में से किसी भी प्रकार के कार्य करने वाले मजदूर अन्य प्रांतों में बंधक बनाये जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में वापस लाने हेतु रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार) तक प्रति श्रमिक प्रदाय किया जावेगा. यह व्यय तब भी देय होगा, जब किन्हीं कारणों से अन्य प्रांत के संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा बंधक मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय नहीं किया जाता है, किन्तु यहां से गई टीम श्रमिक को वापस छत्तीसगढ़ लाने का निर्णय लेती है.

(ii) बंधक निर्माण मजदूर को अवमुक्त कराकर प्रदेश में वापस लाये जाने के पश्चात् प्रत्येक श्रमिक का स्वास्थ्य परीक्षण एवं आवश्यकतानुसार वस्त्र के लिए रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दो हजार) तक प्रदाय किया जावेगा.

(iii) इस तरह प्रत्येक बंधक निर्माण मजदूर के लिए कुल रुपये 4,000/- (अक्षरी रुपये चार हजार) तक का भुगतान मंडल द्वारा श्रम विभाग से सूचना प्राप्त होने पर संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को प्रदाय किया जावेगा.

(ई) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(फ) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 2 नवम्बर 2012

क्रमांक 02.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को

प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना" होगा.

(ii) मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना के तहत निर्माण मजदूरों के लिए बनाये जाने वाले प्रतीक्षालय के भूतल में श्रमिकों के बैठने के लिए स्टील अथवा सीमेंट की बैंच, महिला एवं पुरुष श्रमिकों के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था तथा आवश्यक विद्युत एप्लाइंसेस जैसे पंखा, बिजली इत्यादि.

(iii) प्रथम चरण में नगर पालिक निगमों में प्रतीक्षालय का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है. द्वितीय चरण में प्रदेश के शेष नगरीय निकायों में प्रतीक्षालय का निर्माण किया जावेगा.

(iv) योजना का संचालन जिला स्तर पर श्रम विभाग एवं नगरीय निकाय के समन्वय से किया जावेगा. इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की जावेगी, जिसमें पुलिस अधीक्षक उपाध्यक्ष तथा जिला श्रम अधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय अधिकारी के यथा आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, सदस्य होंगे.

(v) मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों द्वारा आवश्यकता अनुसार स्थल का चयन किया जावेगा. निकाय के पास भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमि की मांग जिला कलेक्टर से की जावेगी. उक्त योजना हेतु कलेक्टर द्वारा भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जावेगी. नगरीय निकाय के आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी भूमि हस्तांतरण/स्वामित्व प्रमाण-पत्र परिषद् संकल्प, सक्षम तकनीकी स्वीकृतियुक्त प्राक्कलन हेतु प्रस्ताव श्रम विभाग के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे.

(vi) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना के अंतर्गत प्रदेश में पंजीकृत समस्त हितग्राही लाभ की पात्रता रखेंगे.

(स) **योजना हेतु व्यय :—**

(i) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संबंधित नगरीय निकायों को रुपये 20.00 (बीस) लाख तक शत-प्रतिशत अनुदान दो किश्तों में प्रदान किया जावेगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि के लिए निकाय द्वारा पृथक से खाता संधारण किया जाएगा. राशि का आहरण आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आवश्यकता के अनुरूप किया जावेगा.

मुख्यमंत्री श्रमिक प्रतीक्षालय संपत्ति का मात्र विनिर्दिष्ट प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा. इसे किसी अन्य को किराये पर भी नहीं दिया जा सकेगा. संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार संबंधित नगरीय निकाय का होगा. श्रमिक प्रतीक्षालय का उपयोग अथवा सदस्यता आवश्यकता पाये जाने पर न्यूनतम दैनिक, मासिक, वार्षिक शुल्क का निर्धारण, संबंधित नगरीय निकाय द्वारा श्रम विभाग के समन्वय से कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जावेगा.

(द) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में जिला कलेक्टर तथा सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

सविता मिश्रा,
सचिव.